47

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-7

In pursuance of the provisions of clause (a) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.K.N.7- 79 /11-2012-312(98)/2012 dated December 05, 2012.

Notification

Order

No.K.N.7- 79 /11-2012-312(98)/2012
Lucknow, Dated December 05, 2012.

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purposes provided in paragraph 5.1.1 and 5.1.2 of the Infrastructure and Industrial Investment Policy 2012, of the State as mentioned in column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Paragraph number of the Infrastructure and industrial investment policy, 2012	Purpose and other detail	Extent of remission	Nature of instrument and Article number of Schedule I-B
1	2	3	4
5.1.1	The exemption of stamp duty on the instrument, of purchase or lease of land, shed or industrial tenement, executed by the Central or State Government or a Corporation, Board, Company or an Institution owned by the Central or the State Government in favour of a new industrial unit or an unit making extension or diversification thereof, in the following manner :-		
	(a) for the units to be established in Purvanchal, Madhyanchal and Bundelkhand;	100 %	Conveyance, under clause (a) of Article 23 and Lease

			under Article 35
	(b) for the units of Information Technology, Bio Technology, Business Processing Outsourcing., call Centers, Agro Processing units, Food Processing units, Food parks, Solar Energy and Alternative Energy Sources within the whole of Uttar Pradesh;	100 %	Conveyance, under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35
	(c) for the purchase of land for the development of infrastructure facilities (such as Roads, Bridges, Over-bridge, Whole-Sale-Market. Trans-Shipment Centers. Unified Transport and Commercial Centers. generation, transmission and distribution of electricity, water supply, water drainage, Exhibition centre, Warehouse, Cold Storage, Airport, Sewage Treatment Plants, Solid Waste Management Plants, Railway Commercial Centers, Cargo Hub, Fire Station, Gas Boosters and Feeder Station, Establishing the Affluent Treatment Plant) within the whole of Uttar Pradesh by private sector except by the public private partnership (PPP) mode;	100 %	Conveyance, under clause (a) of Article 23
	(d) for the units other than those specified in clauses (a), (b) and (c) above	75 %	Conveyance, under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35
5.1.2	For the purchase of land from the private sources :-		
	(a) by an unit falling under sub clause (a), (b) or (c) of Para 5.1.1.	100%	Conveyance, under clause (a) of Article 23
	(b) by an unit other than those mentioned in clause (a)	50%	Conveyance, under clause (a) of Article 23

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

Explanation- For the purpose of this notification,-

(a) "Purvanchal" shall include the revenue divisions of Allahabad, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti Gorakhpur, Faizabad and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur and the "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi.

(b) "the unit making extension" means the unit which augments minimum 25 percent additional capital in land, building, machinery, spare parts and capital goods items before the extension and increase minimum 25 percent of established capacity prior to the extension.

By order,

(B.M.Meena)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन, अनुभाग–7
संख्या–क0नि0–7– 75 /11–2012–312(98)/2012
लखनऊ: दिनांक दिसम्बर 05,2012

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, राज्य की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के पैरा 5.1.1 और पैरा 5.1.2 में उपबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ–2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ–4 में यथा प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ–3 में यथा प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

राज्य की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 की प्रस्तर संख्या	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनूसूची एक–ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
5.1.1	केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था द्वारा, भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेण्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर किसी नई औद्योगिक इकाई अथवा उसके विस्तार या विविधीकरण करने वाली किसी इकाई के पक्ष में निष्पादित लिखत पर स्टाम्प शुल्क से निम्न प्रकार छूट उपलब्ध कराई जायेगी:–		
	(क) पूर्वान्चिल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु;	100%	अनुच्छेद 23 (क) के अधीन हस्तान्तरण

			तथा अनुच्छेद 35 के अधीन लीज
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों, जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, काल सेन्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड पार्क, सौर ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों की इकाइयों की स्थापना हेतु;	100%	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन लीज
	(ग) पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माध्यम के अलावा अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा– सड़कों, पुलों, ओवरब्रिज, थोक बाजार, ट्रान्सशिपमेण्ट केन्द्र, एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, एयरपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, रेलवे व्यवसायिक केन्द्र, कारगो हब, फायर स्टेशन, गैस बूस्टर व फीडर स्टेशन, एफ्लुअन्ट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की स्थापना, हेतु भूमि क्रय करने पर;	100%	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण
	(घ) उपरोक्त खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न इकाइयों हेतु	75%	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन लीज
5.1.2	निजी स्रोत से भूमि क्रय करने पर :–		
	(क) प्रस्तर 5.1.1 के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन आने वाली इकाइयों द्वारा	100%	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन

			हस्तान्तरण
	(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित इकाइयों से भिन्न किसी इकाई द्वारा	50%	अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण

2— इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट तभी अनुमन्य होगी जबकि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के उद्देश्य से,—

(क) ''पूर्वांचल'' में इलाहाबाद, वाराणसी मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल, ''मध्यांचल'' में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल तथा ''बुन्देलखण्ड'' में चित्रकूटधाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे।

(ख) ''विस्तारीकरण करने वाली इकाई'' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जिसके द्वारा विस्तारीकरण के पूर्व भूमि, भवन, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, एवं कैपिटल गुड्स के मदों में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी की वृद्धि की जाये तथा विस्तारीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–7– (1)/11–2012–3(98)/2012 दिनांक:

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियां आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और एक सौ प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या– क0नि0–7– 79 (1–14)/11–2012–3(98)/2012 दिनांक: 05-12-2012

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
(5) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
(7) निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
(8) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
(11) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
(12) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मीना)
प्रमुख सचिव।